

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-प्रारं/बजट/बी-6/9907/2017-18/36 दिनांक:- 19/5/17

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी
पंचायत समिति--

विषय: चिकित्सा मद में विशेष बजट आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार मांग संख्या 24 के तहत बजट मद 2202-सामान्य शिक्षा, 01-प्रारंभिक शिक्षा, 197-ब्लॉक स्तर/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (01)-उ.प्रा.वि.(बालक), [02]-बालकों के विद्यालय का संचालन व्यय-प्रतिबद्ध, 04-चिकित्सा व्यय (राज्य निधि) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निम्नानुसार कार्यालयों को सामान्य/गंभीर रोग से ग्रस्त कार्मिकों के वकाया चिकित्सा पुनर्गण हेतु राशि का आवंटन किया जा रहा है। राशि का उपयोग सिविल सेवा (चिकित्सा परिवर्ध) नियम 2008/2013 के अनुसार किया जावे।

क्र.स.	IFMS UID CODE	बीईईओ कार्यालय का नाम	04-चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि रूपयों में	विशेष विवरण
1.	1406	जवाजा (अजमेर)	82078	श्री दीलत सिंह शाशि. राउप्रावि रूपहेली के किडनी रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु।
2.	1429	डेगाना (नागौर)	131647	श्री कैलाशचन्द अ. राउप्रावि जावा सिसोदिया के स्वयं के हृदय रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु।
3.	1700	फागी (जयपुर)	148743	श्री नाथूलाल शर्मा व.अ. राउप्रावि गुडडा के स्वयं के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु राशि 56154/- व श्री रामस्वरूप शर्मा अ. राउप्रावि रायगल के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु राशि 92589/-
4.	1607	रामगढ़ (अलवर)	41091	स्व. श्री साहव खां अ. राउप्रावि सरगण के स्वयं के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु।
5.	1589	अन्ता (बारा)	179269	श्री धारीलाल मालव राउप्रावि जयनगर के हृदय रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु।
6.	1468	सूजानगढ़ (दुर्ग)	105154	श्री अनिल कुमार अ. राउप्रावि के मुदा रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु।
7.	1703	आमेर (जयपुर)	71509	श्री इन्द्र कुमार माट व.अ. रामावि के पुत्र के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु।
8.	1505	जालोर	77591	श्री कुयाराम शाशि. राउप्रावि देलदरी की पुत्री के हृदय रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु।
9.	1637	गंगापुर सिटी (सावाईमाधोपुर)	173727	श्री सुखदास जाटव अ. के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु राशि 104950/- व श्री बाबू लाल शर्मा शाशि. राउप्रावि खेडाबाद के पुत्र के गंभीर रोग उपचार पर व्यय के पुनर्गण हेतु राशि 68777/-
		योग	1010809	

(अके रूपये दस लाख दस हजार आठ सौ नौ मात्र)

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ 75) कोष/ IFMS/ कोषालय/ 23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत IFMS अंतर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अंत तक बुक किये गये आंकड़ों का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जावे।

उपरोक्त राशि का आवंटन इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है, कि राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा पुनर्गण नियमानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। यदि अधिक भुगतान होता है तो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक F9(14)fd\rules\2005pt जयपुर दिनांक 22.07.2014 के अनुसार रिकवरी सुनिश्चित करें।


लेखाधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
3. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान अनुभाग।
4. रक्षित पत्रावली।


लेखाधिकारी